न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2017/00150

अपील संख्या - 114/17

1. रामफूल
2. ठण्डी
3. कल्लू
4. मुखिया पिसरान रंगलाल जातियान मीना निवासीयान कांचरोदा तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र गजबी
2. ब्रम्हमसिह पुत्र महेन्द्र
3. रूकम पुत्र महेन्द्र जातियान मीना निवासीयान काचरोदा तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 61/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 1.11.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा जिला करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री नेमीचंद गर्ग
अभिभाषक रैस्पो0 की और से कोई उपस्थित नही

दिनांक 02.06.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 1.11.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण ने दाव बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व दखल इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 661 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम कांचरोदा तहसील सपोटरा जो कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है, जिससे दीगर किसी का कोई संबंध नही है। जिसको वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण सहजोर एवं लडाकू व्यक्ति है। जिन्होने ताकत के बल पर दिनांक 13.7.08 को उक्त आराजी मे गोबर व ईधन डालना शुरू कर दिया है। प्रतिवादीगण वादीगण को काश्त करने मे अवरोध [illegible] है। दिनांक 13.7.08 को जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से गोबर व ईधन डालने की मना किया [illegible]गण वादीगण को मारने पर आमादा हो गये। इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः [illegible] फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को आराजी खसरा न0 661 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम कांचरोद[illegible] तहसील सपोटरा से बेद[illegible]या

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण की उक्त आराजीयात मे कांश्त करने मे किसी प्रकार की मदालखत नही करे ना ही किसी दीगर से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अभिभाषक की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादीगण को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मानते हुए ीी दखल का दावा खारिज कर कानूनी भूल की है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का कोई साधिकार एडवर्स पजेशन कब्जा न होते हुए भी अदालत मातहत ने दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। दखल एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दवा होने पर भी अदालत मातहत ने दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अपीलांट की कोई सहमति न होते हुए भी सहमति से कब्जा मानने मे अदालत मातहत ने भूल की है। अदालत मातहत ने तनकी न0 1 आंशिक रूप से स्वीकार करने मे भूल की है। अदालत मातहत ने तनकी संख्या 2 , 3, 4 अपीलांट के विरूद्व तय करने मे कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट गलत बनाई है। पटवारी की रिपोर्ट को न्यायालय मे साबित भी नही कराया हैं ना ही वादी को जिरह का अवसर मिला है। दिनांक 1.11.17 की मौका रिपोर्ट है जो ग्राम कांचरोदा तैयार की है जिस पर पक्षकारो को बिना सूचना बिना हस्ताक्षर कराये तैयार की है जो साक्ष्य मे ग्राहय नही है तथा निर्णय दिनांक 1.11.17 का है जिसके बाबत सुनवाई का अवसर अपीलांट को नही दिया गया है ना ही दिनांक 1.11.17 को मौका रिपोर्ट पत्रावली पर थी। गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईटस न होते हुए भी उस पर विश्वास करने मे अदालत मातहत ने भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा न0 661 रकबा 12 विस्वा वाके ग्राम कांचरोदा तहसील सपोटरा से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण/अपीलांट को दिलाया जावे तथा रेस्पो0/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अपीलांट/वादीगण की उक्त आराजीयात मे काश्त करने मे किसी प्रकार की मदालखत नही करे ना ही किसी दीगर से करावे।

अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा अपील [illegible] य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य साम[illegible] न0 661 रकबा 12 विस्वा ग्राम कांचरोदा तहसील सपोटरा की खातेदारी [illegible] अपीलांट के नाम दर्ज है। अपीलांट/वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त मे उपरोध प्रतिवादीगण द्वारा किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाने का वाद कारण का अंकन करते हुए प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की इस्तदुआ चाही गई थी। पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे विवादित आराजीयात आबादी के काम आ रही है जिससे स्पष्ट है कि भूमि पर किसी प्रकार की कोई काश्त नही की जाती है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन मनगढन्त है। जब काश्त ही नही होती है तो रेस्पो/प्रतिवादीगण द्वारा किस प्रकार काश्त मे मदालखत किया जाता है। अपीलांट/वादीगण का वाद पत्र मे कथन रहा कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 उक्त आराजीयात मे पशु बाडा बनाकर रहवास कर रहे है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात मे काश्त नही होती है। वादीगण/अपीलांट का विवादित आराजीयात कर कब्जा ही सिद्व नही होता है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट/वादीगण की सहमति से ही प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा पशुओ के लिए बाडा एवं रिहायशी मकान बनाया गया है। अपीलांट का यह कथन भी साबित नही है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसको सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र अपीलांट की और से ही प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई। वादीगण/अपीलांटगण के जिम्मे कायम की गई तनकीयात को अपीलाट साबित करने मे असफल रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 61/08 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.11.17 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner